न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हंसराज बनाम भंवरलाल वगै0

प्रार्थना–पत्र रेस्टोरेशन संख्या 2025/181

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
08/07/2025	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 164/सीलिंग/2008 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2077 जिसे दिनांक 13.07.1977 भी लिखा गया है सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 के विरूद्ध अपीलांटगण की ओर से न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई जो अपील कमांक 287/2014 पर दर्ज रजिस्टर की गई। उक्त अपील संख्या 287/2014 न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.03.2025 द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.03.2025 के विरूद्ध अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 12.06.2025 को ही रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य भण्डारी उपस्थित हुए तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 27.03.2025 को अपीलांट एंव उनके अधिवक्ता आवाज के समय उपस्थित नहीं हो सके । जब अपीलांट के अधिवक्ता को आवाज लगाई जा रही थी, उस वक्त अपीलांट के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में बहस कर रहे थे इस कारण अपीलांट के अधिवक्ता इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। बहस पूरी होते ही अधिवक्ता अपीलांट को पता चला तो अधिवक्ता न्यायालय हाजा में पहुंचे तो पता चला कि अपील अपीलांट अदम हाजरी में खारिज हो चुकी है। अपीलांट व उनके अधिवक्ता उक्त कारण से आवाज के समय उपस्थित नहीं हो सके जो क्षमा योग्य है। प्रकरण में गंभीर कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है जिनका निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। अन्त में	

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील संख्या 287/2014 स्वीकार किया जारक अपील पुनः नम्बर पर लिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट के अधिवक्ता को अपील के विचाराधीन होने की भलीं–भाति जानकारी थी। अपीलांट के अधिवक्ता जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए गए है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते रेस्टोरेशन अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अन्त में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत अपील दिनांक 27.03.2025 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई जिसको रेस्टोर के लिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलांट की ओर से पेश किया गया है। हमारे मत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाकर एवं पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर ही न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रेस्टोरेशन अपील स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत अपील पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित प्रतीत होता हैं ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रेस्टोरेशन अपील स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 287/2014 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना–पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा